न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

वाद संख्या :— 38/2025

उनवान

1.सरोज देवी पत्नी बोदूराम जाट उम्र—50 वर्ष जाति जाट निवासी वार्ड नं0 —29 घूडदोड की ढाणी,दुलीचन्द पेट्रोल पम्प के सामने, देवन रोड—शाहपुरा तहसील—शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

— वादीया

बनाम

1.ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय
2.दीपक कुमार ढबास पुत्र लक्ष्मणराम
3.धुडाराम पुत्र लादूराम
4.श्रवण कुमार ढबास पुत्र लक्ष्मणराम
5.सुल्तान पुत्र लादू
6.सरस्वती पुत्री लक्ष्मणराम
7.मनीषा पुत्री लक्ष्मणराम
8.नन्छी पत्नि लक्ष्मणराम
9.हनुमान पुत्र लादूराम
10.मंगली पुत्री लादूराम
11.मूर्ति पुत्री लादूराम
12.फूली पुत्री लादूराम
13.मुकेश पुत्र कालू
14.राकेश पुत्र कालू
15.नन्छी देवी पत्नि कालू
16.रोहिताश पुत्र हरसहाय
17.गीता पुत्री हरसहाय

समस्त जाति जाट निवासी वार्ड नं0 —29 घूडदोड की ढाणी दूलीचंद पेट्रोल पप्प के पास देवन रोड—शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

18.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील —शाहपुरा जिला जयपुर ।
19.उपपंजीयक,उपंजियन कार्यालय —शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)
20.यूको बैंक शाखा —शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

— प्रतिवादीगण

स्थितः— वादीया अधिवक्ता श्री रणवीर कपूरिया

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी * शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान *

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

वाद पत्र बंटवारा व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, 188 आर टी एक्ट – 1955

निर्णय दिनांक :– 6/5/26

प्रस्तुत वाद संक्षेप में इस प्रकार है कि राजस्व ग्राम शाहपुरा पटवार हल्का शाहपुरा भू अभिलेख ण क्षेत्र शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नंम्बर 4346/0.5000,, किता बा 0.5000है0 वाकै ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)में स्थित हैं जिसमें पक्षकारान हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं । उक्त वर्णित आराजी मुतनाजा में वादीया का 11/50 हिस्सा,प्रतिवादी ा–1 ओमप्रकाश का 13/200 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या –2 दीपक कुमार का 13/200 हिस्सा ,प्रतिवादी ा –3 धूडाराम का 13/100 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या –4 श्रवण कुमार का 13/200 हिस्सा व प्रतिवादी ा –5 सुल्तान का 13/100 हिस्सा हैं एवं खातेदार कालू पुत्र लादू का 13/100 हिस्सा व प्रभाती पत्नि का 13/100 हिस्सा व मिश्री देवी पत्नि हरसहाय का हिस्सा 13/200 दर्ज राजस्व रिकार्ड हैं खातेदार पुत्र लादू व प्रभाती पत्नि लादू व मिश्री देवी पत्नि हरसहाय फौत हो चुके हैं जिसके प्रतिवादीगण क वारिस व उत्तराधिकारी हैं। उक्त वर्णित भूमि में वादीया का 11/50 हिस्सा हैं जो कि वादीया की ये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 04.11.2024 से खरीदशुदा भूमि हैं जिस पर वादीया खरीद के दिन से ब्जे रहकर उपयोग उपभोग करती आ रही है। वादीया ने अपनी खरीदशुदा भुमि की सुरक्षा हेतू चारों पुख्ता तीन दुकानात का निर्माण कार्य करवा रखा हैं तथा पीछे की ओर बाडे का निर्माण कर रखा है। ीया की खरीदशुदा भूमि देवन रोड से लगती हुई हैं ।

 कि उक्त वर्णित भूमि का खातेदारान के मध्य कानूनी बंटवारा नही हुआ हैं उक्त भूमि की खातेदारी म्मलित में राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने के कारण प्रतिवादी संख्या –1 लगायत 17 के मन में दुर्भावना आ ी है और उन्होने अपने परिवारजन के साथ मिलकर वादीया के विरूद्ध एक नाजायज संगठन बना या हैं औंर वादीया को उसके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में मजाहत व अडचन ा करने लग गये हैं तथा उक्त भूमि में वादीया कब्जे के विशिष्ट भू–भाग पर कब्जा करने व बिना विधिक टवारा करवाये आराजी मुतनाजा के विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियों के पक्ष में बेचान करने पर मादा हैं । यह कि अभी 2–4 दिन पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 17 अपने परिवारजन के साथ नाफियाओं किस्म के लोगो को साथ लेकर वादीया के कब्जे व उपयोग उपभोग की आराजी मुतनाजा भूमि र आये और उक्त विवादित भूमि की सीमाऐं बेचान करने के उदेश्य से दिखाने लगे व मौके पर नाप जोख रने लगे तो वादीया ने नापजोख करने का कारण पूछा तो प्रतिवादी संख्या 1 ने कहा कि मैं उक्त भूमि के शिष्ट व उपजाउ भाग का बेचान कर रहे है। इसलिए नापजोख कर रहे हैं जिस पर वादीया ने प्रतिवादी ंख्या –1 लगायत 17 को मना किया कि और कहा कि अपनी भूमि का कानूनी बंटवारा नही हुआ हैं एवं ापको बिना विधिक बंटवारा करवाये विशिष्ट भू–भाग को बेचान हस्तानान्तरण करने तथा निर्माण करने ोई हक अधिकार प्राप्त नही हैं जिस पर प्रतिवादी संख्या –1 लगायत 17 ने एलानिया कहा कि हम तो बेना कानूनी बंटवारा कराये ही उक्त विवादित भूमि के विशिष्ट व उपजाउ भू–भाग का बेचान दीगर लठैत व्यक्तियों को करेगे जो तुम्हे अपने आप जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देगे तथा निर्माण कार्य भी करके रहेगे इस प्रकार प्रतिवादीगण की हरकतो से स्पष्ट है कि सहखातेदारी में नही रहना चाहते है। व उक्त भूमि का बिना कानूनी बंटवारा करवाये विशिष्ट भू–भाग बेचने पर आमादा है। ऐसी स्थिति में वादीया

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

तिवादीगण के सम्मलित खातेदारी में रहकर काश्त करना संभव नही है इसलिए वादीया अपने हिस्से
थानिक बंटवारा करवाकर उसका पृथक से राज लगान निर्धारण करवाना चाहती है जिसके लिए यह
पेश हुआ हैं ।

क प्रतिवादी संख्या –1 लगायत 17 अपने उपरोक्त अवैध मन्सूबो में कामयाब हो गये और उसने बिना
ो हक अधिकार व बिना किसी कानूनी बंटवारे के ही वादीया के कब्जेशुदा स्वामित्व व हक अधिकार की
जी पर जबरन लठ के जोर से कब्जा कर वादीया को आराजी से बेदखल कर उक्त भूमि पर जबरन
ा निर्माण कार्य कर उक्त आराजी के विशिष्ट भू–भाग को दीगर व्यक्तियों को रहन वय हस्तानान्तरण
दिया तो इससे वादीया को अकथनीय हानि होगी जिसकी क्षतिपूर्ती किसी भी प्रकार भी धनराशि में
व नही होगी और वादीया को अनेको मुकदमे बाजी में फंसना पडेगा यह कि उक्त वर्णित आराजी की
ार्डेड खातेदार काश्तकार होने के कारण आराजी मुतनाजा का कानूनी बंटवारा करवाने व प्रतिवादी
या –1 लगायत 17 को स्थायी निषेधाज्ञा से पांबद करवाने की अधिकारी हैं इस कारण भी आराजी
नाजा का वादीया व प्रतिवादीगण के मध्य मौके पर काबिज काश्त के आधार पर कानूनी बंटवारा किया
ना उचित एंव न्याया संगत हैं । यह कि प्रतिवादी संख्या –18 राजस्थान सरकार भूमिधारी हैं उक्त
कदमा बंटवारे का होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने के नाते जरिये तहसीलदार शाहपुरा पक्षकार
कदमा बनाया गया हैं एवं प्रतिवादी संख्या –19 उपपंजीयक हैं जहां उक्त भूमि के हस्तानान्तरण संबधित
स्तावेज पंजीयन होते हैं इसलिए प्रतिवादीगण को उक्त विवादित भूमि के हस्तानान्तण संबंधित दस्तावेजात
जियन नहीं करने हेतु पाबन्द कराने के लिए पक्षकार मुकदमा बनाया गया हैं । यह कि प्रतिवादी संख्या
20 के यहॉ खातेदारान ने अपनी कृषि भूमि रहन रखकर ऋण प्राप्त कर रखा हैं इस कारण एतराज पूर्ति
क्षकार मुकदमा बनाया गया हैं । यह कि प्रतिवादी संख्या –18व 19 लोकसेवक व राज्य सरकार पक्षकार
कदमा हैं कानूनन राज्य सरकार व लोक सेवक के विरूद्ध दावा दायरी से पहले दो माह का कानूनी
ोटिस दिया जाना आवश्यक हैं किन्तु प्रकरण अत्यावश्यक प्रकृति का नोटिस देने की अवधि के मध्य
तिवादीगण द्वारा उक्त भूमि का रहनवय स्थानान्तरण कर देने व विशिष्ट भू–भाग का कब्जा अन्य का
इस्तानान्तरण कर देने का पूरा पूरा अन्देशा हैं तथा वादीया को जबरन ताकत के बल पर बेदखल कर देने
का भी पूरा पूरा अन्देशा हैं इस लिए अलग से धारा 80(2) सी.पी.सी का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर नोटिस
दिये जाने से छूट प्राप्त कर ली गयी हैं ।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधीवत सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या
1 लगायत 20 की तामील हो चुकी हैं बावजूद तामील कोई उपस्थित नही, न्याय हित में उपस्थित होने व
जवाब देने हेतू एक अंतिम अवसर देने के उपरान्त भी कोई उपस्थित नही ना ही कोई जवाब प्रस्तुत किया
गया अतः प्रतिवादीगण के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती हैं। वकील वादीया ने प्राथमिक
डीकी किये जाने हेतु निवेदन किया हमने पत्रावली का अवलोकन किया दावा बंटवारे का हैं।

अतः दावा प्राथमिक डिकी किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर आदेशित किया कि आराजी खसरा नंम्बर 4346/0.5000,, किता 1 रकबा 0.5000 है0 वाकै ग्राम शाहपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर को इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/2025/1093 दिनांक 30.10.2025 को प्राथमिक डिक्री किया जाकर तहसीलदार, तहसील शाहपुरा को बंटवारा रिपोर्ट भिजवाने हेतु आदेशित किया गया।

उप खण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्र कमांक /भू0अ0/2026/6421 दिनांक 01.12.2025 के द्वारा
त रिपोर्ट प्राप्त हुई । तहसीलदार, तहसील शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा प्रस्ताव/कुर्रेजात रिपोर्ट पर
वादीया को सुना गया । वकील वादीया ने बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से सहमति प्रदान कर
अंतिम डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया। वकील वादीया की बहस पर मनन किया गया तथा
ली व प्राप्त बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत प्रकरण में
ीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट में राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से के अनुसार बंटवारा रिपोर्ट
होना प्रतीत होता है । अतः दावा अन्तिम डिकी किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त तथ्यों के विवेचन के फलस्वरूप वादीया का दावा कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम डिक्री
ा जाता है कि आराजी खसरा नंम्बर 4346/0.5000,, किता 1 रकबा 0.5000है0 वाकै ग्राम शाहपुरा
सील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)में स्थित भूमि का पक्षकारान् के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता
:—

ता ख्या	वर्तमान जमाबंदी के अनुसार अंकन में खातेदार का नाम	खसरा नं0	रकबा
39	1.ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय हिस्सा 13/200 जाति जाट देह खातेदार 2.कालू पुत्र लादू हिस्सा 13/100जाति जाट सा.देह खातेदार 3.दीपक कुमार ढबास पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 13/200 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा —13/200(पूर्ण खाता) यूकों बैंक शाखा शााहपुरा जिला जयपुर 4. धूडाराम पुत्र लादू हिस्सा 13/100 जाति जाट सा.देह खातेदार 5.प्रभाती पत्नि लादू हिस्सा 13/200 जाति जाट सा.देह खातेदार 6.मिश्री देवी पत्नि हरसहाय हिस्सा 13/200 जाति जाट सा.देह खातेदार 7.श्रवण कुमार ढबास पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 13/200 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 13/200(पूर्ण खाता) यूकों बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर 8.सरोज देवी पत्नि बोदूराम जाट हिस्सा 11/50 जाति जाट सा. देह खातेदार 9. सुल्तान पुत्र लादू हिस्सा 13/100 जाति जाट सा.देह खातेदार	4346 कुल किता 1	0.50है0 0.5000है0

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

प्रस्तावित विभाजन के अनुसार अंकन में खातेदार का नाम		
1.सरोज देवी पत्नि बोदूराम जाट हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार	4346/1	0.1100
	कुल किता 01	कुल रकबा 0.1100है0

प्रस्तावित विभाजन के अनुसार अंकन में खातेदार का नाम		
1.ओमप्रकाश पुत्र हरसहाय जाट हिस्सा पूर्ण जाति जाट सा.देह खातेदार 2.कालू पुत्र लादू हिस्सा 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार 3.दीपक कुमार ढबास पुत्र लक्ष्मणराम हिस्सा 1/12 जाति जाट सा.देड खातेदार राहिन हिस्सा 1/12(पूर्ण खाता) यूको बैंक शाहपुरा जिला जयपुर 4.धूडाराम पुत्र लादू हिस्सा 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार 5.प्रभाती पत्नि लादू हिस्सा 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार 6.मिश्री देवी पत्नि हरसहाय हिस्सा 1/12 जाति जाट सा.देह खातेदार 7.श्रवण कुमार ढबास पुत्र हरसहायराम हिस्सा 1/12 जाति जाट सा.देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/12 (पूर्ण खाता) यूकों बैंक शाहपुरा जिला जयपुर 8.सुल्तान पुत्र लादू हिस्सा 1/6 जाति जाट सा.देह खातेदार	4346/2 कुल किता 01	0.3900 कुल रकबा 0.3900है0

प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान वादीया एवं प्रतिवादीगण को हमेशा हमेशा के लिए जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक–दूसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें। हर्जा खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करें। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार शाहपुरा को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 6/5/26 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर)
उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा,जिला जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान